जगदीश प्रसाद यादव
सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत
कालवाड़, जयपुर (राजस्थान)

---

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 33 ग्राम सभा दिनांक 20-09-2005

बियानी शिक्षण समिति, आर-4, सेक्टर-3, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 172, 173, 177 व 178 ग्राम कालवाड़ में स्थित भूमि के संस्थानिक उपयोग हेतु भवन मानचित्र के अनुमोदन की प्रार्थना की है।

आज दिनांक 20-09-2005 को आयोजित ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कालवाड़, जयपुर की बैठक में उक्त आवेदन पर उपस्थित ग्रामीणों व पंचायत सदस्यों के समक्ष बियानी शिक्षण समिति के द्वारा खसरा नम्बर 172, 173, 177 व 178 के संस्थानिक उपयोग हेतु प्रस्तावित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के भवन मानचित्र वास्तुकार द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार-विमर्श किया गया जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त भूमि के साईट प्लान एवं प्रस्तावित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

ग्राम पंचायत कालवाड़ जयपुर

सरपंच
(जगदीश प्रसाद यादव)
सरपंच
ग्राम पंचायत-कालवाड़, जयपुर

BIYANI SHIKSHAN SAMITI JPR

# कार्यालय टिप्पणी

## जयपुर विकास प्राधिकरण

69. संस्थानिक (यूनिवर्सिटी) एवं स्पोर्टस् ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट एकल पट्टा भूखण्ड की जेडएलसी कार्यवाही विवरण (निजी खातेदारी)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | योजना का नाम – | संस्थानिक (यूनिवर्सिटी) एवं स्पोर्टस ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट भूखण्ड |
| 2. | आवेदक का नाम – | राजीव बियानी, डॉ. संजय बियानी, डॉ. मनीष बियानी पुत्रान् स्व. जुगल किशोर बियानी व सुजाता बियानी पत्नि श्री राजीव बियानी, प्रियंका बियानी पत्नि श्री संजय बियानी व मधु बियानी पत्नि श्री मनीष बियानी |
| 3. | ग्राम व तहसील सहित खसरा नम्बर मय रकबा – | राजस्व ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 173/2, 176/1, 177/2, 172, 173/1, 177/1 व 178 कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा |
| 4. | धारा 90ए का निर्णय दि0 21.12.15 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 बिस्वा एवं धारा 90बी का निर्णय दिनांक 6.12.10 क्षेत्रफल 12 बीघा 19 बिस्वा (पृष्ठ 22–33 व 35–36/सी) कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा | |
| 5. | भूमि का भू–उपयोग – | मास्टर प्लान 2025 के अनुसार भूमि का भू–उपयोग यू–2 (एच.आई.जेड) यू–3 (एल.आई.जेड) है, जिसमें संस्थानिक (यूनिवर्सिटी) उपयोग एवं मास्टर प्लान 2025 अनुसार भूमि का भू–उपयोग जी–2 एवं इकोलोजिकल है, जिसमें स्पोर्टस् ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट अनुज्ञेय है। (पृष्ठ 14/सी) |
| 6. | तकनीकी विश्लेषण :– | |

| प्रयोजन | क्षेत्रफल व.मी. |
|---|---|
| यूनिवर्सिटी का क्षेत्रफल (यू–2+यू–3 एल.आई.जेड) | 10571.54+14666.18=25237.72 |
| स्पोर्टस् ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट का क्षेत्रफल (जी–2+ इकोलोजिकल) | 31110.18 |
| 30 मीटर सड़क सीमा में जविप्रा को निःशुल्क समर्पित क्षेत्रफल | 2059.21 |
| 24 मीटर सड़क सीमा में जविप्रा को निःशुल्क समर्पित क्षेत्रफल | 6104.74 |
| कुल क्षेत्रफल | 64511.82 |

1. जोन के सहायक नगर नियोजक, तहसीलदार एवं अर्जन शाखा द्वारा मौका देखा गया। आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2025 की 30 मीटर एवं 24 मीटर सड़क पर स्थित है।
2. सेक्टर प्लान तैयार नहीं है। मास्टर प्लान 2025 के अनुसार भूमि का भू–उपयोग यू–2 (एच.आई.जेड) यू–3 (एल.आई.जेड) है, जिसमें संस्थानिक (यूनिवर्सिटी) उपयोग एवं मास्टर प्लान 2025 अनुसार भूमि का भू–उपयोग जी–2 एवं इकोलोजिकल है, जिसमें स्पोर्टस् ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट अनुज्ञेय है। (पृष्ठ 14/सी)
3. भूखण्ड का मानचित्र पत्रावली के पृष्ठ सं. 33/सी पर संलग्न है, जिसका एरिया विश्लेषण उपरोक्तानुसार है।
4. उक्त भूखण्ड का एकल पट्टा दिया जाना है इसलिए उक्त भूखण्ड के पैरामीटर निर्धारित किये जाने बाबत मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत है।
5. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.2009 के अनुसार 4000 वर्गमीटर से अधिक का होने कारण प्रकरण में पट्टा जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।

अतः जोन द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए भूखण्ड यूनिवर्सिटी व स्पोर्टस् ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हेतु एकल पट्टा अनुमोदन करने की अभिशंषा कर स्वीकृति हेतु पत्रावली अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी) के माध्यम से आयुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सहायक नगर नियोजक जोन –12

तहसीलदार जोन –12

उपायुक्त जोन –12 22/3/13

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी)

ज.वि.प्रा.–का. स्टोर–2012

dia.org/ncteapp/api/v1/payment/response